संख्या:1138/XVII(4)/2018-5(24)/13

प्रेषक,

सौजन्या,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2019**

**विषयः–राज्यपोषित निर्भया प्रकोष्ठ/योजना को भारत सरकार की वन स्टॉप सेन्टर योजना में सम्मिलित/एकीकरण किये जाने विषयक।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक/उपाध्यक्ष, म0स0 एवं बा0वि0 विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–406/210/WECD/2019-20 दिनांक 21.09.2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में निर्भया नामक योजना संचालित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1955/XVII(4)/2013/5(24)/13 दिनांक 04.10.2013 के तहत आउटसोर्स के माध्यम से नियत मानदेय के आधार पर रखे गये कार्मिको का तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या–1171/XVII(4)/2013/5(31)/13 दिनांक 11.06.2013 द्वारा गठित One Stop Crisis Center For Women (OSCC) में सम्मिलित/एकीकरण किये जाने की निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1) निर्भया प्रकोष्ठ में वरिष्ठ महिला अधिवक्ता, परामर्शदाता एवं अनुसेवक के पद हेतु क्रमशः मानदेय रू0 18,000/–, रू0 15,000/– एवं रू0 7,500/– निर्धारित है। वन स्टॉप सेन्टर योजनान्तर्गत समायोजन किये जाने वाले वरिष्ठ महिला अधिवक्ता एवं परामर्शदाता का मानदेय यदि निर्भया प्रकोष्ठ में निर्धारित मानदेय से कम है, तो उसकी नियमानुसार प्रतिपूर्ति निर्भया प्रकोष्ठ से की जा सकती है।
2) वन स्टॉप सेन्टर में सम्बन्धित पद रिक्त न होने की दशा में निर्भया प्रकोष्ठ में यदि किसी कार्मिक की योग्यता वन स्टॉप सेन्टर में किसी अन्य पद के लिए पूर्ण होती है, तो योजनान्तर्गत नियमानुसार किसी अन्य पद के सापेक्ष उसका समायोजन (मानदेय आधारित पद) किया जा सकता है।
3) निर्भया प्रकोष्ठ में वर्तमान में डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद (मानदेय आधारित) पर तैनात कार्मिक को सम्बन्धित जनपद में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार समायोजन किया जा सकता है।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–103–महिला कल्याण–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं आदि विभिन्न योजनाओं का संचालन (100 प्रतिशत के0सह0) (म0स0 एवं संरक्षण मिशन) के मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(सौजन्या)
सचिव

संख्या–1138 (1)/XVII/2019-5(24)/13 तद्दिनांकित

**प्रतिलिपिः**–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रायल, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
10. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(झरना कमठान)
अपर सचिव।